भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 182

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

शेल कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

182. श्री शफी परम्बिल:

श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में निष्क्रिय और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के बारे में विस्तृत जानकारी है जो कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं करती हैं बल्कि केवल कर चोरी और धनशोधन के लिए ही पंजीकृत हैं, यदि हां, तो आंध्रप्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में शेल कंपनियों की पहचान करने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और ऐसे अन्य जांच प्रभागों के माध्यम से ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश सहित चिन्हित की गई ऐसी कंपनियों की राज्य-वार सूची क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में शेल कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो शेल कंपनियों के रूप में जानी जाने वाली ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): 'निष्क्रिय कंपनी' को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 455 के तहत (i) भविष्य की परियोजना के लिए या परिसंपत्ति या बौद्धिक संपदा रखने के लिए बनाई गई कोई कंपनी और ऐसी कंपनी जिसका कोई महत्वपूर्ण लेखा लेनदेन नहीं है या (ii) कोई निष्क्रिय कंपनी जो व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या पिछले दो वित्तीय वर्षों से वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है पिछले दो वित्तीय वर्षों में ऐसी कंपनी अथवा निष्क्रिय कंपनी, जैसा भी मामला हो, ने कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 के सम्यक अनुपालन के साथ कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से निष्क्रिय स्थिति प्राप्त कर ली है, के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के तहत 'धोखाधड़ी करने वाली कंपनी' या 'शेल कंपनी' शब्दों की कोई परिभाषा नहीं है।

तथापि, कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 248 (1) के संदर्भ में, कंपनी रजिस्ट्रार कुछ चूकों के लिए कंपनियों के नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है जैसे कि निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफलता, दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं करना और कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही कंपनी को निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं करना जैसा कि भौतिक सत्यापन आदि के बाद पता चला है। ऐसी कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिनियम की धारा 248(1) के अंतर्गत पहचान की गई और स्ट्राइक ऑफ की गई कंपनियों की आन्ध्रप्रदेश सहित, राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तीय वर्ष 2020-2021	वित्तीय वर्ष 2021-2022	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तीय वर्ष 2023-2024	कुल योग
अंडमान निकोबार	14	2	3	53	6	78
आंध्र प्रदेश	935		1354	2402	400	5091
अरुणाचल प्रदेश	24	3	27	32	4	90
असम	330	65	362	588	90	1435
बिहार	1942	184	1771	2815	185	6897
चंडीगढ़	329	169	461	303	51	1313
छत्तीसगढ़	345	47	324	446	67	1229
दादरा और नगर हवेली	10	1	14	13	1	39
दमन और दीव	7	2	5	12	12	38
दिल्ली	10284	1972	5166	16064	2151	35637
गोवा	286	34	213	184	78	795
गुजरात	1740	252	3401	2626	665	8684
हरियाणा	2165	408	1076	4813	585	9047
हिमाचल प्रदेश	173	201	260	303	27	964
जम्मू और कश्मीर	135		322	451	29	937
झारखंड	401	136	975	888	185	2585
कर्नाटक	5439	1027	6117	4342	2317	19242
केरल	2666	956	2124	1558	459	7763
लद्दाख			5	5		10
लक्षद्वीप	1	1			2	4
मध्य प्रदेश	1128	107	541	2427	446	4649
महाराष्ट्र	7619	2250	11662	12049	3276	36856
मणिपुर	31	4	52	147	4	238
मेघालय	33	10	29	21	7	100
मिजोरम	5		9	18	2	34
नागालैंड	19	2	19	27	6	73
उड़ीसा	704	75	1014	1332	81	3206
पांडिचेरी	115	35	80	82	18	330

पंजाब	151/2	330	902	927	125	2843
राजस्थान	4458	505	1707	1902	426	8998
सिक्किम			1			1
तमिलनाडु	3141	1294	6077	4666	965	16143
तेलंगाना	2518	693	4992	3798	1763	13764
त्रिपुरा	25	3	27	91	4	150
उत्तर प्रदेश	5789	1934	1594	12093	1234	22644
उत्तराखंड	78		244	960	73	1355
पश्चिम बंगाल	6547	4	9345	3687	721	2000ड ब्ल्यू
कुल योग	59995	12706	62275	82125	16465	233566

(स्रोतः एमसीए-21 पोर्टल से आकंड़े प्राप्त किए गए है)

*****